न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 223/2011 जीसीएमएस नम्बर 2011/00062

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव जे.एल.एन. मार्ग, इन्द्रा सर्किल, जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान पुत्र गोपी, जाति मीणा, निवासी ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (मृतक दौराने विचारण)
1/1 बाबूलाल पुत्र स्व. हनुमान
1/2 रामकृपाल पुत्र स्व. हनुमान
1/3 आशा देवी पुत्री स्व. हनुमान
1/4 संतोष पुत्री स्व. हनुमान
1/5 कैलाशी देवी पत्नी स्व. हनुमान समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर दिनांक 10.11.2010

उपस्थित—
1. श्री हीरालाल सैनी वकील अपीलान्ट
2. श्री अजय कुमार सैनी वकील रेस्पो0 1/1, 1/2, 1/4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्तावकील रेस्पो0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —30.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के निर्णय दिनांक 10.11.2010 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर जिला—जयपुर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नं 432, रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा के दौराने सेटलमेण्ट हाल खसरा नम्बर 441, 442, 443 558 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 होने से 0.09 है0 भूमि कम हो जाने बाबत् दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को खसरा नम्बर 444 में से 0.09 हैक्टेयर भूमि हटाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 10.11.2010 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 10.11.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर दिनांक 10.11.2010 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो सम्पूर्ण दस्तावेजात पेश हुए न ही अधीनस्थ न्यायालय ने यह बताया कि ख.नं. 444 का पूर्व में कितना रकबा था तथा वर्तमान में उसका कितना रकबा है स्पष्ट नहीं है फिर भी अपीलान्ट का रकबा 0.09 है0 कम करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है अतः निर्णय निरस्तनीय है।खसरा नम्बर 444 की किस्म गैर मु0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः गैर मुमकीन भूमि की खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय करने में भूल की है। अतः निर्णय निरस्तनीय है।प्रस्तुत प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह भी विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया है तथा न ही कोई विवेचन ही किया है अतः उक्त निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, न ही अपीलान्ट को कोई सुनवाई का कोई नोटिस दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जिला जयपुर निर्णय दिनांक 10.11.2010 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम कलवाडा तह सांगानेर में प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नं. आराजी ख.नं 432, रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा के दौराने सेटलमेंट भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बने हाल खसरा नम्बर 441, 442, 443 558 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 करने से प्रार्थी की 0.09 है0 भूमि कम कर दी गयी। प्रार्थी की 0.09 है0 भूमि, ख.नं. 444 में मिला दी गयी तथा अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी गयी जबकि प्रार्थी आज भी उक्त पर काबिज काश्त होकर कृषि करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी भी गलत रूप में अप्रार्थी सं. 2 के खाते में जो 0.09 हैक्टेयर मिला दी गयी जिसको दुरुस्त कराने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी की भूमि में से हो पार्थी की भूमि में से 0.09 हैक्टेयर भूमि दौराने सेटलमेंट में कमी की गयी जो गलत है क्योंकि दौराने सेटलमेंट भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राईटस रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई कानून अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नम्बर 444 वाके ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि को हटाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 12.07.2011 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किप्रकरण में मूल विवाद ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर जिला–जयपुर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नं 432, रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा यानि 1.20 है0 के दौराने सेटलमेण्ट हाल खसरा नम्बर 441, 442, 443 558 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 होने से अप्रार्थी की 0.09 है0 भूमि कम होने को लेकर है। प्रार्थी द्वारा भूमि कम अंकित होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को खसरा नम्बर 444 में से 0.09 हैक्टेयर भूमि हटाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् केवल राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि या स्वीकृत त्रुटियों को ही परिशोधित किये जाने का प्रावधान है अगर किसी काश्तकार की भूमि कम या ज्यादा हो रही है तो यह धारा 136 में प्रावधित नहीं है। इसके लिए पक्षकार सक्षम न्यायालय में धारा 88, 89, 188 के तहत दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर का निर्णय दिनांक 10.11.2010 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 444 में से 0.09 हैक्टेयर भूमि वापस प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की जावे।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर